बिहार में ‘अल्पसंख्यक उद्यमी योजना’ शुरू की जाएगी

चर्चा में क्यों?

- 25 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्वरोज़गार को बढ़ाने के लिये ‘अल्पसंख्यक उद्यमी योजना’की स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- उद्यमी योजना में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- इसमें से 50 प्रतिशत राशि अधिकतम पाँच लाख रुपए ऋण एवं 50 प्रतिशत राशि अधिकतम पाँच लाख रुपए अनुदान के रूप में होगी।
- इस योजना के तहत केवल नए उद्योग लगाने के लिये ही राशि दी जाएगी। यह योजना संकल्प जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।
- अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे। अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएँ अपनी इच्छा के अनुसार, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना अथवा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी में से किसी एक योजना में आवेदन करने की पात्र होंगी।
- विदित है कि पूर्व में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अतिपिछड़ा वर्ग, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी योजना लागू की गई हैं।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/minority-entrepreneur-scheme-will-be-starte-in-bihar